(3)

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. हरीतिमा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 07/2020

भंवरलाल पुत्र जोधाराम जाति बैरागी निवासी वार्ड न. 10 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
2. अधिशांषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़।

.....रेस्पोण्डेन्टस्

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलान्ट,
2. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पो.संख्या 2
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

– : : निर्णय : : –

दिनांकः– 27.01.2021

1. यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 20.04.2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं।
2. अपील मीमों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.04.2006 अपीलान्ट को सुनवाई का पूरा मौका दिये बिना, पीठ पीछे पारित किया गया हैं। अपीलान्ट को विधिवत् रूप से सुना नहीं गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध हैं।
3. अपीलान्ट को रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 463/2 में 25.00 बीघा(6.325 हैक्टेयर) भूमि दिनांक 01.04.1977(सम्वत 2034) में टी.सी. आवंटन होकर प्रतिवर्ष नवीनीकरण होकर कब्जा काश्त में चली आ रही हैं जिसका नवीनीकरण बराबर होता रहा हैं व रकम राज भी कायम होकर खजानाराम में जमा करवाई जाती रही हैं जिसके साक्ष्य अपील के साथ प्रस्तुत हैं। अपीलान्ट सूरतगढ़ का मूल निवासी हैं व सद्भावी काश्तकार हैं। भूमि आवंटन का पात्र मानते हुए ही अपीलान्ट को टी.सी. आवंटन किया गया था।
4. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का ने तथाकथित पूर्णतया एकतरफा रिपोर्ट दी थी कि अपीलान्ट का रकबा पैराफेरी यानि सूरतगढ नगरपालिका की सीमा के 2 किमी परिधि में आता हैं व शर्तों का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

उलघंन किया हैं। इस पर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई का मौका दिये बिना जल्दबाजी में अपीलान्ट का टी.सी. आवंटन खारिज कर दिया जबकि अपीलान्ट ने आवंटन की किसी भी शर्त का उलघंन नहीं किया हैं। अपीलान्ट का पेशा काश्तकारी हैं। रकबा उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर का होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार हैं। अपीलान्ट ने लगातार रकम व मालकाना समय–समय पर जमा करवाया हैं। टी.सी. आवंटन से आज तक लगातार कब्जा काश्त हैं। रकबा पैराफेरी से बाहर हैं, निर्णय साईक्लोस्टाईल हैं जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय को टी.सी. खारिज करने का अधिकार क्षेत्र नहीं हैं। अपीलान्ट का टी.सी. आवंटन 43 वर्ष पुराना हैं रकबा को कड़ी मेहनत व भारी खर्चा लगाकर सुधार कर काबिल काश्त किया हैं। अपीलान्ट के परिवार का जीवन सहारा एक मात्र यह कृषि भूमि ही हैं। अपीलान्ट दिनांक 31.12.2019 को पटवारी हल्का के पास खसरा गिरदावरी की नकल लेने गया। तब जैरअपील आदेश की जानकारी पटवारी के माध्यम से हुई व जानकारी होते ही निर्णय की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील प्रस्तुत कर दी व अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र धारा पाँच मियाद कानून मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अन्त में निवेदन किया गया हैं कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.04.2006 निरस्त किया जावे।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये सम्मन तलब किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगाया गया।
6. बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार को टी.सी. आवंटन निरस्त करने की शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने कई निर्णय में यह प्रतिपादित किया हैं कि तहसीलदार टी.सी. आवंटन खारिज करने में सक्षम नहीं हैं। आलौच्य आदेश में तहसीलदार सूरतगढ़ ने राज्य सरकार के जिन परिपत्रो का हवाला दिया हैं वे इस मामले में लागू नहीं होते हैं। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने बहस की कि बिना अधिकार क्षेत्र के पारित निर्णय में कोई समय सीमा लागू नहीं होती उसे कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है। कॉलोनी लीज कण्डीशन टी.सी. लीज 1955 की शर्त संख्या 19 का भी हवाला दिया जिसमें तहसीलदार को टी.सी. खारिज का अधिकार नहीं हैं। कानूनी दृष्टान्त आरआरडी 1995 पेज 576, आरआरडी 1992 पेज 117, आरआरडी 1996 पेज 425, आरआरटी 2009(1) पेज 468 व नोटिफिकेशन राजस्व 2008 दिनांक 31.05.2008 प्रस्तुत किये।
7. पैरोकार राज की बहस हैं कि उक्त जैरअपील रकबा पैराफेरी में हैं। इस रकबा के खातेदारी अधिकार जारी नहीं किये जा सकते व न ही पुख्ता आवंटन किया जा सकता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत होने से अपील खारिज की जावे।
8. अभिभाषक नगरपालिका की बहस हैं कि जैरअपील रकबा नगरपालिका को हस्तान्तरित किया जा चुका हैं अब अपीलान्ट को इस रकबा पर कोई अधिकार नहीं हैं। अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे।
9. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का जवाब रेस्पो. न. 2 द्वारा प्रस्तुत किया हैं व कहा हैं कि अपील प्रस्तुत करने में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

हुई देरी का संतोषजनक कारण नहीं हैं। सर्वप्रथम मियाद के प्रश्न का निर्णय किया जाना उचित हैं। अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा जो कानूनी दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं उनमें माननीय उच्च अदालतों द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि बिना क्षेत्राधिकार के पारित निर्णय में अपील प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा बाधक नही हैं। मौजूदा प्रकरण में तहसीलदार को टी.सी. खारिज करने का अधिकार क्षेत्र नहीं हैं। अभिभाषक नगरपालिका द्वारा भी अपने कथन के समर्थन में कानूनी दृष्टान्त मियाद के बिन्दू पर आरबीजे 2017 पेज 122, आरएलडब्ल्यू 2004 पेज 705, आरबीजे 1999 पेज 214 प्रस्तुत किये जिनका सम्मानपूर्वक अध्ययन किया जिससे यह निष्कर्ष निकलता हैं कि तहसीलदार को टी.सी. आवंटन को खारिज करने की शक्तियां नहीं होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्त पूरी तरह से लागू होते हैं व रेस्पो. न. 2 के द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नहीं होने से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद कानून स्वीकार कर अपील अन्दर मिया शुमार की जाती हैं।

10. अधीनस्थ न्यायालय में आलौच्य निर्णय में यह तथ्य स्वीकार किया हैं कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 463/2 में 25 बीघा भूमि वर्ष 1977 में अपीलान्ट को टी.सी. आवंटन हुई थी जिसका नवीनीकरण बराबर होने का साक्ष्य टी.सी. आवंटन पत्रावली पर हैं। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त टी.सी. आवंटन राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व(ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 का हवाला देते हुए निरस्त किया हैं इसके अतिरिक्त राजस्थान उपनिवेशन(अस्थाई कृषि पट्टा) की शर्त 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत बने वेस्ट लैण्ड हेतु बने 1996 के नियमों के अन्तर्गत उक्त आंवटन खारिज किया गया हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र दिनांक 15.12.2005 औधोगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के सम्बन्ध में हैं। उक्त परिपत्र इस प्रकरण में लागू नहीं होता हैं क्योंकि विवादित भूमि अपीलान्ट को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी राज्य सरकार का पत्र क्रमांक प 9(25) राज/6/2004 दिनांक 08.02.2006 शहरों के पैराफेरी क्षेत्र में आवंटित वेस्टलैण्ड के सम्बन्ध में हैं। उक्त पत्र द्वारा जारी किये गये निर्देश भी इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। राजस्थान उपनिवेशन(अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अन्तर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को प्राप्त नहीं हैं, बल्कि शर्त संख्या 19 के अनुसार टी.सी. लीज निरस्त करने की शक्तियां कलक्टर को प्रदत की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलौच्य निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन व विधिविरूद्ध होने से त्रूटिपूर्ण हैं जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

11. अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.04.2006 निरस्त किया जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27.1.21

अतिरिक्त कलक्टर
सूरतगढ़।

Scanned by CamScanner